दूर संचार योजनाओं का पूरा न हो ना

4378. **चौधरी हरमोहन सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान आरम्भ की गई/स्वीकृत बहुत-सी दूर संचार योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उनकी लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना में कितनी देरी हुई है तथा कितनी लागत-वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अधिकारी की जवाबदेही निश्चित की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं । विभिन्न दूर संचार स्कीमों को पूरा करने में कोई विलंब नहीं हुआ है । विभाग पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य पूरा कर रहा है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) लागू नहीं ।

Wireless overlay system

4379. SHRI S. MADHAVAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to provide wireless overlay system instead of using cable as a medium of transmission; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) MTNL, New Delhi has been recently permitted to conduct trials an experimental basis for use of "Wireless in Local Loop" technology. This technology will help avoid laying under ground cables to connect subscribers to the local exchange.

Metering of Calls in Trichy

4380. SHRI S. MADHAVAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the telephones subscribers in Trichy in Tamil Nadu have brought to the notice of the department the metering for their calls through the inter-dialling exchanges connecting Trichy and Srirangam; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No complaints have been received regarding malfunctioning of metering for the calls through inter-dialling exchanges connecting Trichy and Srirangam.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Medical Facilities to Retired P & T Employees

4381. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is a discrimination in the medical facilities provided to retired employees of Posts and Telegraph Department drawing upto Rs. 500/- per month and those drawing beyond Rs. 500/- per month; and

(b) if so, whether Government consider to give the similar facility to all employees who retire from non-Gazetted posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

टेलीफोन आदि का स्थानांतरण

4382. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ही एक्सचेंज में, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में और एक शहर/स्थान से दूसरे शहर/स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन स्थानांतरित कराने के संबंध में क्या प्रक्रिया है;

(ख) उपर्युक्त ढंग से टेलीफोन स्थानांतरित कराने हेतु अलग-अलग प्रभार क्या हैं और इनके स्थानांतरण में कितना समय लगता है;

(ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार एक नया टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण/टेलीफोन लगाने इत्यादि के लिए कितना खर्च वहन करना पड़ता है; और

(घ) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों पर क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण—I में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण—II में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) अपेक्षित सूचना विवरण—III में दी गई है। (नीचे देखिए)

(घ) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के साथ जुड़े उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विशेष सुविधाएं इस प्रकार है :—

(i) डायलिंग सेवा का संक्षिप्तिकरण।

(ii) आटोमेटिक वेक अप सेवा।

(iii) काल ट्रांसफर सेवा।

(iv) काल प्रतीक्षा सेवा।

(v) होट लाइन सेवा।

(vi) तीन पार्टियों का एक साथ वार्तालाप (थ्री पार्टी कानफेंसिंग) और

(vii) आई०एस०डी०/एस०टी०डी० काल सुविधा पर डायनामिक नियंत्रण।

विवरण I

टेलीफोन स्थानांतरण की नीति :

मल्टी एक्सचेंज क्षेत्रों में, एक एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन स्थानांतरित करने की अनुमति सामान्यतः प्रदान कर दी जानी चाहिए। यदि टेलीफोन स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र की तारीख उस एक्सचेंज को विशिष्ट श्रेणी की तारीख रिलीज अवधि के भीतर की हो अथवा जिस टेलीफोन को शिफ्ट किया जाना हो, वह तीन वर्ष की अवधि तक काम कर चुका हो अर्थात् इसमें से जो भी पहले हो। टेलीफोन स्थानांतरण के मामलों में यह पद्धति अखिल भारतीय आधार पर एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन शिफ्ट के मामले में लागू होगी।

एकल एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली अथवा मल्टी एक्सचेंज प्रणाली के अंतर्गत उसी एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट के आदेश उपभोक्ता से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तुरन्त कर दिया जाए जब तक कि उस क्षेत्र में ऐसा करना अव्यवहार्य न हो।

स्थानान्तरण की पद्धति :

1. उपभोक्ता संबंधित टेलीफोन प्राधिकारी को इसके लिए निर्धारित आवेदन-पत्र में अपना आवेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

2. जहां कहीं व्यवहार्य हो, टेलीफोन का स्थानांतरण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। जिन मामलों में सामान्य अवधि से अधिक समय लगने की संभावना है उन मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

3. जिन मामलों में यह पाया जाता है कि बिल की राशि विभागीय गलती जैसे सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में 40 प्रतिशत किराया राशि का बिल जारी न करना, बिल में गलती से अधिक राशि दर्शाना आदि के कारण बकाया है तो टेलीफोन को तत्काल स्थानांतरित करके उसे चालू किया जाएगा।

4. यदि टेलीफोन निर्धारित अवधि के भीतर तत्काल स्थानांतरित न किया जा सकता हो या विभागीय नीति के अंतर्गत इसकी अनुमति न हो या इसे केवल पेयर की कमी के कारण स्थानांतरित न किया जा सकता हो तो पार्टी को समय पर सूचना दी जानी चाहिए और आवेदक से यह जानकारी ली जाएगी कि क्या मूल स्थान पर लगे टेलीफोन को नए स्थान पर स्थानांतरित करने तक बंद रखा जाए।

5. किसी उपभोक्ता के नाम से कार्य कर रहे टेलीफोन को किसी व्यापारिक फर्म या कम्पनी के नाम तभी स्थानांतरित किया जाएगा जब उपभोक्ता उसका एकमात्र मालिक/साझेदार/डायरेक्टर हो।

6. टेलीफोन स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं, यह पता लगने के बाद संज्ञापन पत्र (एडवाइस नोट) जारी किया जाएगा। यदि टेलीफोन स्थानांतरित करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो तो, उसे तत्काल स्थानांतरित किया जाएगा।

7. मल्टी एक्सचेंज प्रणाली में एक एक्सचेंज क्षेत्र से दूसरे एक्सचेंज क्षेत्र में स्थानांतरित करने के मामले में दो संज्ञापन पत्र एक मौजूदा टेलीफोन को बंद करने तथा दूसरा शिफ्ट किए जाने पर नया टेलीफोन खोलने के लिए जारी किए जाएंगे। तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर स्थानांतरण का काम तत्काल किया जाएगा।

8. टेलीफोन स्थानांतरित करने संबंधी अनुरोध की सदाक्षमता की जांच वास्तव में टेलीफोन स्थानांतरित किए जाने के समय ही की जानी चाहिए।

9. यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अपने साथ मूल स्थान पर लगे टेलीफोन उपकरण को नए स्थान पर ले जा सकता है। उपभोक्ता को आवेदन-पत्र में इस विकल्प का उल्लेख करना होगा।

10. किसी व्यक्ति के नाम टेलीफोन स्थानांतरित किए जाने से पूर्व मौजूदा बकाया बिलों की अदायगी की मांग किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, किसी कार्यालय, कंपनी या संगठन के मामले में टेलीफोन

स्थानांतरित किए जाने से पूर्व बकाया बिल का भुगतान किया जाना आवश्यक है ।

11. विभागीय कारणों से टेलीफोन शिफ्ट करने की 15 दिन की अवधि से अधिक का विलंब होने के कारण जिस अवधि तक टेलीफोन बंद रहता है उस अवधि का यथा अनुपात किराया वापिस किया जाता है ।

स्थानांतरण से पूर्व आवेदन-पत्र वापिस लेना :

संज्ञापन-पत्र जारी होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप से टेलीफोन स्थानांतरित होने से पहले यदि उपभोक्ता इसके स्थानांतरण का अपना आवेदन-पत्र वापिस लेता है तो उसे जिला इंजीनियर द्वारा नियत उस तारीख तक किया गया वास्तविक व्यय का भुगतान करना पड़ेगा ।

स्थानांतराधीन टेलीफोन बंद करना :

उपभोक्ता के अनुरोध पर यदि कोई टेलीफोन बंद किया जाता है और नियमों के अंतर्गत टेलीफोन स्थानांतरण के योग्य होने की अवधि तक सुरक्षा अभिरक्षा में रखा जाता है तो टेलीफोन बंद रहने की अवधि से स्थानांतरित किए जाने की तारीख तक इसका पूरा प्रभार लिया जाएगा । तथापि, स्थानांतरण के लिए पात्र हो जाने पर यदि टेलीफोन 15 दिन के भीतर शिफ्ट नहीं हो पाया हो तो उपर्युक्त (ii) के अनुसार यथानुपात किराए में छूट प्रदान की जाए ।

तीसरी पार्टी को टेलीफोन का स्थानांतरण करने पर शिफ्टिंग :

टेलीफोन शिफ्ट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए टेलीफोन कनेक्शन के स्थानांतरण के मूल आवेदन पत्र की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा और जिस एक्सचेंज क्षेत्र से टेलीफोन स्थानांतरण की मांग की गई है उस क्षेत्र में टेलीफोन के कार्य करने की अवधि के साथ-साथ टेलीफोन स्थानांतरण होने तक की अवधि को भी शामिल किया जाएगा ।

अखिल भारतीय स्तर पर टेलीफोन का स्थानांतरण :

उपभोक्ता से निर्धारित फार्म में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर वर्तमान टेलीफोन के टेलीफोन प्राधिकारी उस टेलीफोन को बंद हुआ मानेंगे तथा उपभोक्ता को इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे । इस प्रमाण-पत्र के आधार पर उपभोक्ता नए स्थान पर संबंधित टेलीफोन प्राधिकारियों को टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा और उसके साथ यह प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा और उसे टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा । ओ०वाई०टी०श्रेणी में रियायत देने के मामले में, उपभोक्ता को प्रमाण पत्र के साथ जमा की शेष राशि लौटा दी जाएगी । इस शेष राशि को उपभोक्ता नए स्थान पर जमा कराएगा और उपभोक्ता को ओ०वाई० टी०उपभोक्ता माना जाता रहेगा ।

टेलीफोन का स्थानांतरण :

कोई भी टेलीफोन कनेक्शन किसी अन्य व्यक्ति के नाम, दूरसंचार जिला इंजीनियर अथवा दूरसंचार जिला प्रमुख अथवा इस प्रयोजन के लिए जिला प्रमुखों द्वारा नामित मंडल इंजीनियर की स्वीकृति के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है ।

विभिन्न परिस्थितियों में स्थानांतरण :

(क) **उपभोक्ता के जीवनकाल में :**—उपभोक्ता के जीवन काल में उसके निकट संबंधियों अर्थात् पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र अथवा पुत्री, चचेरे भाई और बहन को छोड़कर सौतेले भाई और सौतेली बहन सहित, भाई तथा बहन के नाम टेलीफोन कनेक्शन के स्थानान्तरण की मंजूरी प्रदान की जा सकती है, चाहे वह मूलरूप से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त किया गया हो । टेलीफोन ने एक वर्ष से कम समय तक कार्य न किया हो । यदि टेलीफोन विशेष अथवा प्राथमिकता कनेक्शन है तो मूल किराएदार को उस श्रेणी में अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता ।

(ख) **उपभोक्ता की मृत्यु :**—उस व्यक्ति के नाम पर जिसके नाम पर मृतक की इच्छा के अनुसार जायदाद की वसीयत की गई है । यदि जायदाद की वसीयत एक से अधिक व्यक्तियों के नाम की गई है, तो उस स्थिति में टेलीफोन का स्थानांतरण अन्य लोगों की आपसी सहमति से एक व्यक्ति के नाम किया जा सकता है । वसीयत न होने की स्थिति में टेलीफोन मृतक की विधवा/विधुर के नाम, अन्यथा कानूनी वारिस अथवा उत्तराधिकारी के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है । एक से अधिक कानूनी वारिस अथवा उत्तराधिकारी होने की स्थिति में, सभी वारिसों अथवा उत्तराधिकारियों की आपसी सहमति से उनमें से एक व्यक्ति के नाम टेलीफोन स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(ग) **उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन :**—किन्हीं कारणों से उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन होने के कारण ।

(घ) **कंपनी अथवा फर्म के नाम में परिवर्तन :**—फर्म, कंपनी, संस्था, संगठन, एसोसिएशन अथवा समरूप निकाय के नाम अथवा संरचना में कोई परिवर्तन होने पर किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा किसी संस्था या संगठन अथवा एसोसिएशन या कोई समरूप निकाय के नाम टेलीफोन का स्थानांतरण किया जा सकता है ।

(ङ) **लघु उद्योगों की श्रेणी में आने वाले फोनों का स्थानांतरण :**—लघु उद्योग के मामले में विशेष श्रेणीयों के अंतर्गत प्रदान किए गए टेलीफोन के स्थानांतरण

की अनुमति तभी दी जा सकती है जबकि किराएदार इसे ओ०वाई०टी०श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए ओ०वाई०टी०की अपेक्षित धनराशि जमा कराने के लिए तैयार हो । ऐसा उसी स्थिति में किया जा सकता है जबकि उस टेलीफोन के संस्थापन की मूल तिथि उस सीमा के अंतर्गत आती हो जिसके अंतर्गत ओ०वाई०टी० में टेलीफोन दिए जा रहे हों । विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए गए टेलीफोन के मामले में नियमानुसार स्थानांतरण नहीं हो सकता ।

विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में टेलीफोन के स्थानांतरण की अनुमति नहीं है ।

(च) **किराएदार द्वारा मकान मालिक के टेलीफोन का प्रयोग** :—प्राधिकारी द्वारा किसी भवन के मकान मालिक द्वारा लिए गए टेलीफोन का, उसी भवन में रह रहे किराएदार द्वारा प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है । यह नियम विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों पर लागू होगा । इस संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं । इसके लिए 500 रु० अनुमति शुल्क लिया जाएगा । प्रत्येक नए किराएदार का अनुरोध पृथक रूप से और नए सिरे से विनियमित किया जाएगा । यह व्यवस्था निवास स्थान पर लगे टेलीफोन कनेक्शनों के लिए ही है ।

स्थानांतरणों को संचालित करने वाली सामान्य शर्तें :—(क) स्थानांतरण के लिए आवेदन-पत्र स्थानांतरण करने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति के नाम पर स्थानान्तरण किया जाता है, दोनों ही व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए । किराएदार के मामले में आवेदन-पत्र पर उस व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होंगे जिसके नाम टेलीफोन का स्थानांतरण किया जाना है ।

(ख) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रमाण-पत्र होने चाहिए जिनके अनुसार विभाग के भविष्य में उनके दावों की क्षतिपूर्ति हो एवं सभी पहले के बकाया धन आदि का भुगतान की व्यवस्थाएं करेंगे । जिस व्यक्ति के नाम पर टेलीफोन का स्थानांतरण की तारीख से पहले की अवधि से संबंधित कोई भी लम्बित बकाया देय राशि सहित, सभी प्रकार की बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन देना चाहिए ।

(ग) (i) यदि टेलीफोन कनेक्शन ओ०वाई०टी० सामान्य अथवा गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मंजूर किया गया हो, तो इस टेलीफोन संस्थापन को तारीख से कम से कम एक वर्ष अवश्य कार्यरत रहा हो, यदि मंजूरी "तत्काल योजना" के अंतर्गत दी गई हो, तो टेलीफोन संस्थापन की तारीख से तीन वर्ष तक अवश्य कार्यरत रहा हो ।

(ii) स्थानांतरण के लिए आवेदन-पत्र स्थानांतरण चाहने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाना है । सक्षम प्राधिकारियों के पास गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक मामले में एक वर्ष की इस सीमा को शिथिल करने के विवेकाधिकार हैं ।

(घ) स्थानांतरण शुल्क का भुगतान भारतीय तार नियमावली के नियम 434(3) में निर्धारित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् स्थानांतरण के प्रत्येक चरण के लिए मौजूद शुल्क 100/ रु० है ।

(ङ) सभी स्थानांतरण उसी परिसर में किए जाएंगे । कोई भी अपेक्षित (शिफ्टिंग) स्थानांतरण हो जाने के बाद स्थानांतरणकर्ता द्वारा अलग से कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के अनुरोध पर सामान्य तौर पर की जाने वाली शिफ्टिंग पर लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । शुल्क निर्धारण की निश्चित तारीख, संस्थापना की तारीख होगी न कि स्थानांतरण की तारीख ।

(च) किसी व्यक्ति के नाम पर लगे टेलीफोन का स्थानांतरण उस फर्म के नाम किया जा सकता है जिसका कि वह एक मात्र स्वामी है और इसी प्रकार उस फर्म के नाम लगे टेलीफोन को उसके मालिक के नाम स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(छ) स्थानांतरण सभी उपांगों सहित अनुमत्य है ।

(ज) दलालों/एजेंसियों द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों को अपवाद स्वरूप नहीं लिया जा सकता । विभाग केवल स्थानांतरणकर्ता और जिसके नाम स्थानांतरण किया जाना है उस व्यक्ति के साथ ही बातचीत करेगा और दलालों और एजेंसियों के साथ कोई बात नहीं करेगा ।

(झ) प्रत्येक स्थानांतरण के लिए पंजीकरण से संबंधित स्थानांतरण शुल्क 50 रु० है और पंजीकरण का स्थानांतरण चालू कनेक्शनों के स्थानांतरण से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुसार ही किया जाता है ।

(ट) ओ०वाई०टी०श्रेणी से गैर-ओ०वाई० टी० सामान्य श्रेणी में पंजीकरण का स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं है । इसके लिए आवेदक अपना पंजीकरण शुल्क वापस ले सकता है और फिर गैर-ओ०वाई०टी०श्रेणी में पंजीकरण करवा सकता है ।

(ठ) ओ०वाई०टी० सामान्य श्रेणी से ओ०वाई०टी० विशेष श्रेणीम पंजीकरण के स्थानांतरण की अनुमति, मूल पंजीकरण की तारीख से अथवा विशेष श्रेणी के अधीन पंजीकरण के लिए पात्रता की तारीख से, जो भी बाद में हो, दी जा सकती है ।

(ङ) गैर-ओ०वाई०टी० विशेष अथवा गैर ओ० वाई०टी० सामान्य श्रेणी से ओ०वाई०टी० श्रेणी में पंजीकरण के स्थानांतरण की अनुमति केवल निर्धारित जमा राशि के बीच के अंतर की प्राप्ति की तारीख से दी जा सकती है ।

(ढ) गैर ओ०वाई०टी० सामान्य श्रेणी से गैर ओ०वाई०टी० विशेष श्रेणी में पंजीकरण के स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है यदि शर्तें पूरी की जाती है । इसी प्रकार गैर ओ०वाई०टी० सामान्य श्रेणी को जरूरत पड़ने पर गैर ओ०वाई०टी० विशेष श्रेणी दुबारा दी जा सकती है ।

स्थानांतरणों पर और आगे प्रतिबंध

एक बार इन नियमों के अधीन एक टेलीफोन स्थानांतरित किया गया है, तो

(i) किराएदार (जिसके नाम स्थानांतरण होना है) की मृत्यु

(ii) किराएदार (जिसके नाम स्थानांतरण होना है) के नाम में परिवर्तन

(iii) संरचनात्मक परिवर्तनों आदि के कारण टेलीफोन का स्थानांतरण (किसी एक व्यक्ति के नाम अथवा इसके विपरीत स्वामित्व में परिवर्तन के कारण स्थानांतरण के मामले को छोड़कर) और

(iv) सरकार तथा संबद्ध संगठनों के बीच टेलीफोनों के स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, 5 वर्ष के आगे की अवधि के लिए टेलीफोन के स्थानांतरण संबंधी किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

तीसरी पार्टी को स्थानांतरण

उपभोक्ता के टेलीफोन की संस्थापना के एक वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी के नाम अपना टेलीफोन स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी । ओ०वाइ०टी० सामान्य और गैर ओ०वाई०टी० सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत टेलीफोनों को ही तीसरी पार्टी को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी ।

स्थानांतरण करने वाले के नाम जमा शेष राशि उसे, स्थानांतरण की तारीख तक की बकाया राशि की कटौती के बाद, वापस कर दी जाएगी । जिसके नाम टेलीफोन स्थानांतरित किया जाना है, वह उसे टेलीफोन स्थानांतरित करने के बाद भी पुरानी बकाया राशि का भुगतान करने का दायी होगा । जिसके नाम टेलीफोन स्थानांतरित किया जाना है उसे निम्नलिखित राशियां अदा करनी होगी :—

(i) 8,500 रु०, जहां किसी एक्सचेंज में कुल लाइनें 1000 से अधिक न हों

(ii) 10,500 रु० 1000 लाइनों से अधिक किन्तु 10,000 लाइनों से अधिक नहीं ।

(iii) 15,500 रु०, 10,000 लाइनों से अधिक ।

इसमें से 500/-रु० स्थानांतरण शुल्क के तौर पर और 8000 रु०, 10,000 तथा 15,000-रु० ओ०वाई०टी० जमा राशि के तौर विनियोजित किए जाएंगे और स्थानांतरण की तारीख से उस कनेक्शन को नया ओ०वाई०टी० कनेक्शन माना जाएगा ।

यदि विभाग को यह पता लगता है कि टेलीफोन किसी तीसरी पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो पार्टी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह तीसरी पार्टी को स्थानांतरण के तौर पर प्रयोगकर्त्ता को टेलीफोन स्थानांतरित करें ।

स्थानांतरण केवल "साइट" पर ही किया जाता है । टेलीफोन शिफ्ट करने की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन से आरंभिक आवेदन की तारीख का मानदंड अपनाया जाएगा और उस एक्सचेंज क्षेत्र में शुरू से कार्य करने की अवधि से ही शुल्क का आकलन किया जाता है ।

पांच वर्षों की अवधि से आगे की अवधि के लिए स्थानांतरण के किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

विवरण II

शिफ्टिंग प्रभार

(i) 500 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली में 150 रु०

(ii) 500 लाइनों और इससे अधिक क्षमता-वाली एक्सचेंज प्रणाली में 600 रु०

*यदि अंदरुनी वायरिंग उपभोक्ता द्वारा स्वयं की की गई हो तो 300 रु० की छूट दी जाती है ।

स्थानांतरण प्रभार

उपभोक्ता, टेलीफोन की संस्थापना के 1 वर्ष के बाद अपना टेलीफोन किसी भी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी के नाम स्थानांतरित कर सकता है । टेलीफोन के स्थानांतरण प्रभारों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) जिस एक्सचेंज में कुल 1000 लाइनों से कम क्षमता है वहां—8,500 रु०

(ii) 1000 लाइनों से अधिक लेकिन 10,000 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंजों में—10,500 रु०

(iii) 10,000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में—15,500 रु०

ऊपर उल्लिखित राशियों में से 500/-रु० स्थानांतरण शुल्क और 8000 रु० 10,000/-रु०, 15000 रु०, ओ०वाई०टी० जमा राशि के तौर पर मानी जाएगी और कनेक्शन की नया ओ० वाई०टी०कनेक्शन माना जाएगा । 5 वर्ष की अवधि से आगे की अवधि के लिए स्थानांतरण के किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं कया जाएगा ।

शिफ्ट/स्थानांतरण करने में लिया जाने वाला समय

जहां कहीं व्यवहार्य होता है आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर शिफ्टिंग पर दी जाती है । इस अवधि से अधिक समय तक संभावित विलंब के मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाती है । टेलीफोन का स्थानांतरण विभागीय औपचारिकताएं पूरी होते ही कर दिया जाता है ।

विवरण III

नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए आज की तारीख की लागू पंजीकरण/संस्थापना प्रभार नीचे दिए गए हैं :—

पंजीकरण प्रभार

ओ०वाई०टी० आवेदन पत्र

"एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता"

	10,000 लाइनों और इससे अधिक	1,000 लाइनों और 10,000 लाइनों से कम	1,000 लाइनों से कम
	रु०	रु०	रु०
पंजीकरण शुल्क राशि	15,000	10,000	8,000

सामान्य और विशेष श्रेणी आवेदन पत्र

एक्सचेंज प्रणालियों का प्रकार और उनकी क्षमता

मीटर्ड एक्सचेंज		समान दर के एक्सचेंज	
10,000 लाइनों एवं इससे अधिक	10,000 लाइनों से कम	100 लाइनों से अधिक	100 लाइनों तथा इससे कम
रु०	रु०	रु०	रु०
पंजीकरण की राशि 3,000	2,000	1,000	100

संस्थापना प्रभार

प्रत्येक कनेक्शन के लिए (अस्थायी को छोड़कर)

(i) 500 लाइनों से कम के एक्सचेंज 300 रु०

(ii) 500 लाइनों से अधिक के एक्सचेंज 800 रु०

छूट

यदि वायरिंग उपभोक्ता द्वारा की गई हो—

उपर्युक्त (i) में 50 प्रतिशत

उपर्युक्त (ii) में 250 रु०

यदि ऊपर (ii) में वायरिंग और उपस्कर की व्यवस्था उपभोक्ता ने स्वयं की हो—500 रु०

Villages without Post Office and Letter Box facility

4383. SHRI ANANTRY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the villages in the country are without a post office and letter box facility ;

(b) if so, the number of such villages, State-wise, particularly in Gujarat ;

(c) whether there is any proposal under consideration to open post offices and to provide letter box facility in these villages during 1994-95 ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Out of 5,80,702 inhabited villages in the country, post offices and letter boxes have been provided in 1,36,028 villages and 3,47,741 villages respectively.

(b) The number of villages in the country which do not have post office and letter box facility respectively, State-wise, is at Statement (*See* below).

(c) to (e) Government's objective is to progressively extend the postal network to all villages which satisfy the norms prescribed in accordance with the Government's policy within the resources available, giving priority to Gram Panchayat Headqurters where no post offices are available in the Panchayat area. During 1994-95, it is targeted to open 800 extra departmental branch post offices in such villages.